उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) अधिनियम, 1950

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1950}

THE UTTAR PRADEHS LANGUAGE (BILLS AND ACTS) ACT, 1950

[U. P. Act No. 1 of 1950]

उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) अधिनियम, 1950[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1950}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 फरवरी, 1950 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7 फरवरी, 1950 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 10 फरवरी, 1950 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10 फरवरी, 1950 को प्रकाशित हुआ।}

विधेयकों तथा अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा विहित करने के लिए

अधिनियम

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में अन्य बातों के साथ–साथ इस बात की व्यवस्था है कि किसी राज्य के विधान मण्डल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा से भिन्न अन्य भाषा हो सकती है यदि विधान मण्डल ने ऐसा विहित किया हो,

अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :––

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) अधिनियम, 1950 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

विधेयकों तथा अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिन्दी होगी

2–– उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी।

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, दिनांक 10 फरवरी, 1950 देखिये।

THE UTTAR PRADESH LANGUAGE (BILLS AND ACTS) ACT, 1950[1]

[U. P. ACT NO. 1 OF 1950]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 8, 1950 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on February 7, 1950.

Received the assent of the Governor on February 10, 1950 under Article 200 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated February 10, 1950.]

AN

ACT

to prescribe the language for use in Bills and Acts.

Whereas clause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India' provides *inter alia* that language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of a State may, if the Legislature has so prescribed, be other than the English Language.

It is hereby enacted as follows : --

Short title and 1950.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Language (Bills and Acts) Act,

commencement

(2) It shall be come into force at once.

Hindi to be used in Bills and Acts

2. The language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the State of Uttar Pradesh shall be Hindi in Devanagari script.

February, 10, 1950.